न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

सेशन केस संख्या– 1214/2026

राज्य–प्रति–दीपक कुमार उर्फ गोलू आदि।

मु०अ०सं०–48/2026

धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम, एवं

303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०

थाना बाबरी, जिला शामली।

आरोप

मैं **सुरेन्द्र कुमार राय**, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम/विद्युत अधिनियम, शामली एतदद्वारा आप अभियुक्तगण **1–दीपक कुमार उर्फ गोलू, 2–फरमान, 3–अफ्सार, 4–मुर्शीद, 5–आकाश, 6–देवेन्द्र गुप्ता, 7–नितिश कुमार, 8–नीरज, 9–जूगनू व 10–इन्द्रजीत** को निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

1. यह कि दिनांक 17.04.2026 को, समय अर्धरात्रि में, बहद स्थान ग्राम जंगल ग्राम भाज्जू, थाना बाबरी जनपद शामली में आप अभियुक्तगण ने मिलकर टावरो पर खींचे हुए 2 तार स्पैन 786x2 1572 माटर लाईन के ऊपर से काटकर चोरी किया, जिससे टवर में लगी हुई 104 नग इन्सुलेटर व अन्य सामग्री भी टूट गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा **136 विद्युत अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आप अभियुक्तगण कि गिरफ्तारी की गई तथा आपके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा **137 विद्युत अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने मिलकर टावरो पर खींचे हुए 2 तार स्पैन 786x2 1572 माटर लाईन के ऊपर से काटकर चोरी किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो **बी0 एन 0 एस 0 की धारा 303(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आप अभियुक्तगण कि गिरफ्तारी की गई तथा आपके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा **317(2) बी0 एन 0 एस 0** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने मिलकर ग्राम ग्राम भाज्जू के जंगल में लगे टावरो पर खींचे हुए 2 तार स्पैन 786x2 1572 माटर लाईन के ऊपर से काटकर चोरी करते समय टवर में लगी हुई 104 नग इन्सुलेटर व अन्य सामग्री को तोड़कर रिष्टि कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने **धारा 324(4) बी0 एन 0 एस 0** के अंतर्गत अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के लिए आप अभियुक्त का विचारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :20.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०., शामली।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की माँग की ।

दिनांक :20.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०., शामली।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,विद्युत अधिनियम/विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

सेशन केस संख्या– 1214/2026
राज्य–प्रति–दीपक कुमार उर्फ गोलू आदि।
मु०अ०सं०–48/2026
धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम, एवं
303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०
थाना बाबरी, जिला शामली।

दिनांकः20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **दीपक कुमार उर्फ गोलू, फरमान, अफ्सार, मुर्शीद, आकाश, देवेन्द्र गुप्ता, नितिश कुमार, नीरज, जूगनू व इन्द्रजीत** जेल से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आरोप के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा उपलब्ध पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने हेतु पत्रावली एवं केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम एवं 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०, का आरोप बनाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम एवं 303(2), 317(2), 324(4) बी०एन०एस०, का आरोप बनाया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.08.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन नियत तिथि हेतु तलब हो।

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०.,शामली।